

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 157]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 अप्रैल 2015—चैत्र 30, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्र. 2167-114-इक्कीस-अ.(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 अप्रैल 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०१५

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१५

[दिनांक 15 अप्रैल 2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 20 अप्रैल 2015 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है।

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम
(क्रमांक २३ सन्
१९५६) का
संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—

(१) धारा २९३ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"२९३-क. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा २४ के उपबंध तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जो भूमि के विकास तथा उपयोग के नियंत्रण के संबंध में हैं, इस अधिनियम के अधीन भूमि के विकास तथा उपयोग के नियंत्रण के प्रयोजन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

(२) धारा २९४ में, उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(५) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन अधिसूचित प्रचलित नियमों के अंतर्गत विहित की गई अपेक्षित अर्हता रखने वाले उतने वास्तुविदों तथा संरचना इंजीनियरों को, जितने कि वह आवश्यक समझे, ऐसे भू-खण्डों के सम्बन्ध में निगम की ओर से भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए इस धारा के अधीन परीक्षण करने तथा अनुमोदन प्रदान करने के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, पंजीकृत तथा प्राधिकृत कर सकेगा।"

(३) धारा २९५ में, उपधारा (१) में, शब्द तथा अंक "धारा २९१" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "धारा २९१ या २९३-क" स्थापित की जाएं।

(४) धारा ३०८-क में, प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परंतु प्रकरणों का प्रशमन करने में अप्राधिकृत सन्निर्माण, जिसमें नियमितिकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबंधन के अधीन ली गई अवैध कालोनियों में अप्राधिकृत सन्निर्माण सम्मिलित हैं, के संबंध में, फीस उस दर से तथा उस शर्त पर प्रभारित की जाएगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.”.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—

मध्यप्रदेश अधिनियम
(क्रमांक ३७ सन्
१९६१) का
संशोधन.

(१) धारा १८७ में, उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(३क) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद्, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन अधिसूचित किए गए प्रचलित नियमों के अंतर्गत विहित की गई अपेक्षित अर्हता रखने वाले उतने वास्तुविदों तथा संरचना इंजीनियरों को, जितने कि वह आवश्यक समझे, ऐसे भू-खण्डों के सम्बन्ध में परिषद् की ओर से भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए इस धारा के अधीन परीक्षण करने तथा अनुमोदन प्रदान करने के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, पंजीकृत तथा प्राधिकृत कर सकेगी.”.

(२) धारा १८७-क में, प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परंतु प्रकरणों का प्रशमन करने में अप्राधिकृत सन्निर्माण, जिसमें नियमितिकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबंधन के अधीन ली गई अवैध कालोनियों में अप्राधिकृत सन्निर्माण सम्मिलित हैं, के संबंध में, फीस उस दर से तथा उस शर्त पर प्रभारित की जाएगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.”.

(३) धारा १८७-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“१८७-घ. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा २४ के उपबंध तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जो भूमि के विकास तथा उपयोग के नियंत्रण के संबंध में हैं, इस अधिनियम के अधीन भूमि के विकास तथा उपयोग के नियंत्रण के प्रयोजन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.”.

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के उपबंधों का भूमि के विकास तथा उपयोग के नियंत्रण के संबंध में लागू होना.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्र. 2168-114-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

MADHYA PRADESH ACT
No. 11 OF 2015

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2015

[Received the assent of the Governor on the 15th April, 2015 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 20th April, 2015.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015.

PART I

**AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956
(NO. 23 OF 1956)**

**Amendment to the
Madhya Pradesh
Act NO. 23 of
1956.**

**Provisions of the
Madhya Pradesh
Nagar Tatha
Gram Nivesh
Adhiniyam, 1973
(No. 23 of 1973) to
apply in respect of
control of
development and
use of land.**

2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956)-(1) After section 293, the following section shall be inserted, namely :—

"293-A. Save as otherwise provided in this Act, the provisions of section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and the rules made thereunder in respect of control of development and use of land shall *mutatis mutandis* apply for the purpose of control of development and use of land under this Act.".

(2) In section 294, after sub-section (4), the following new sub-section shall be inserted, namely :—

"(5) Notwithstanding anything contained in this section, the Commissioner may register and authorize as many number of Architects and Structural Engineers as he may deem fit, possessing the requisite qualification prescribed under the prevailing rules notified under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), to examine and grant approval under this section for erection or re-erection of the building on behalf of the Corporation in respect of such plots, in such manner and on such conditions as may be prescribed by the State Government.".

(3) In section 295, in sub-section (1), for the word and figures "section 291," the words and figures "section 291 or 293-A shall be substituted.

(4) In Section 308-A, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that in compounding the cases in respect of unauthorized construction, including the unauthorized constructions in the illegal colonies taken over under management by the competent authority for regularization, the fee shall be charged at such rate and on such conditions as may be prescribed by the State Government.".

PART II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (NO. 37 OF 1961)

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961),—

(1) In Section 187, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(3A) Notwithstanding anything contained in this section, the Council may register and authorize as many number of Architects and Structural Engineers as it may deem fit, possessing the requisite qualification prescribed under the prevailing rules notified under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), to examine and grant approval under this section for erection or re-erection of the building on behalf of the Council in respect of such plots, in such manner and on such conditions as may be prescribed by the State Government.".

**Amendment to the
Madhya Pradesh
Act NO. 37 of
1961.**

(2) In Section 187-A, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that in compounding the cases in respect of unauthorized construction, including the unauthorized constructions in the illegal colonies taken over under management by the competent authority for regularization, the fee shall be charged at such rate and on such conditions as may be prescribed by the State Government.".

(3) After Section 187-C, the following section shall be inserted, namely:-

"187-D. Save as otherwise provided in this Act, the provisions of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and the rules made thereunder in respect of control of development and use of land shall mutatis mutandis apply for the purpose of control of development and use of land under this Act.".

**Provisions of the
Madhya Pradesh
Nagar Tatha
Gram Nivesh
Adhiniyam, 1973
(No. 23 of 1973)
to apply in
respect of
control of devel-
opment and use of
land.**